[2020] 4 उम. नि. प. 287

प्रीत पाल सिंह

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

[2020 की दांडिक अपील सं. 520]

14 अगस्त, 2020

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 389 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 304ख, 498क, 406 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4] – दहेज मृत्यु – दोषसिद्धि – आजीवन और अन्य अवधि के कारावास का दंडादेश – उच्च न्यायालय द्वारा दंडोदश को निलंबित करते हुए अभियुक्त को जमानत दिया जाना – जहां मृतका की मृत्यु उसके विवाह के केवल साढ़े आठ माह के भीतर हुई हो, ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग करते हुए उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व उसे यातना देने और तंग करने का साक्ष्य हो और अभियुक्त दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय में कोई स्पष्ट अवैधता या गलती प्रदर्शित करने में समर्थ न रहा हो, वहां उच्च न्यायालय द्वारा कोई कारण अभिलिखित किए बिना आकस्मिक रूप से दंडादेश के निष्पादन को निलंबित करते हुए, अभियुक्त को दी गई जमानत को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है ।

इस अपील के तथ्यों के अनुसार, अपीलार्थी-अभियुक्त का विवाह मृतका के साथ हुआ था । मृतका के माता-पिता द्वारा अपनी वित्तीय हैसियत से परे जाकर विवाह में धन खर्च किया गया था और एक कार भी दी गई थी । विवाह के पश्चात् से ही मृतका के ससुराल वाले उसे और अधिक दहेज लाने के लिए यातना देने लगे और तंग करने लगे । विवाह के साढ़े आठ माह के भीतर ही अस्वाभाविक परिस्थितियों में मृतका की मृत्यु हो गई । सेशन न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर

से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, जिसमें विपदग्रस्त के परिवार के सदस्यों का मौखिक साक्ष्य भी था, प्रतिरक्षा साक्षियों के साक्ष्य और प्रत्यर्थी सं. 2, उसके माता-पिता और उसकी बहिन की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन प्रतिरक्षा पर विचार किया और उसके पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 2 के साथ-साथ उसके माता-पिता को भारतीय दंड संहिता की धारा 498क, 304ख और 406 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । उसकी बहिन को दोषमुक्त कर दिया गया था । सेशन न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी-अभियुक्त ने जमानत पर छोड़े जाने के लिए एक आवदेन फाइल किया । उच्च न्यायालय ने कोई कारण अभिलिखित किए बिना अभियुक्त-अपीलार्थी के दंडादेश को निलंबित करते हुए उसे जमानत पर छोड़े जाने का निदेश दिया । उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389 में यह उपबंधित है कि अपील न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो उसके द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे, आदेश दे सकता है कि उस दंडादेश या आदेश का निष्पादन, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा की गई अपील के लंबित रहने तक निलंबित किया जाए और यदि वह व्यक्ति परिरोध में है तो यह भी आदेश दे सकता है कि उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए । नि:संदेह, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(3) के आदेश को ध्यान में रखते हुए, तीन वर्ष से अनधिक दंडादेश के मामलों में और/या जमानतीय अपराधों के मामले में सिद्धांत भिन्न-भिन्न हैं । इस मामले में, नि:संदेह, कोई भी अपराध, जिनके लिए प्रत्यर्थी सं. 2 को दोषसिद्ध किया गया है, जमानतीय नहीं हैं । इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी सं. 2 को, अन्य कारावास के साथ-साथ, भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के अधीन अपराध के लिए पांच वर्ष का कारावास दिया गया है । किसी पक्षकार का यह पक्षकथन नहीं है कि विपदग्रस्त

की मृत्यु दुर्घटनावश या स्वाभाविक थी । इस मामले में दहेज की मांग का साक्ष्य है, जिस पर विचारण न्यायालय ने विचार किया था । मृत्यु विवाह के 7 या 8 माह के भीतर हुई थी और मृत्यु से ठीक पूर्व क्रूरता करने और यातना देने के बारे में माता-पिता का साक्ष्य है । विपदग्रस्त के भाई द्वारा प्रत्यर्थी-अभियुक्त को 2,50,000/- रुपए का संदाय करने का भी साक्ष्य है । प्रत्यर्थी सं. 2 दंडादेश के निष्पादन का निलंबन करने के लिए सेशन न्यायालय के निर्णय में कोई प्रकट और/या स्पष्ट अवैधता या गलती प्रदर्शित नहीं कर सका था । दंडादेश के निलंबन के लिए आवेदन पर विचार करते समय, अपील न्यायालय को केवल यह परीक्षा करनी होती है कि क्या दोषसिद्धि के आदेश में ऐसी स्पष्ट खामी है जो दोषसिद्धि के आदेश को प्रथमदृष्ट्या त्रुटियुक्त बनाती है । जहां ऐसा साक्ष्य है जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया गया था, वहां धारा 389 के अधीन आवेदन पर विचार करने वाला न्यायालय इस बात के लिए स्वतंत्र नहीं है कि वह उसी साक्ष्य का पुनर्निधारण और/या पुनर्विश्लेषण करे और दंडोदश के निष्पादन को निलंबित करने और सिद्धदोष व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के लिए एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाएं । यद्यपि भारतीय दंड संहिता में 'दहेज' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है । इसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि कोई मूल्यवान प्रतिभूति जो विवाह के समय या इससे पूर्व या पश्चात् किसी समय विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: दी गई है या दिए जाने के लिए करार की गई है । इस बात का समर्थन करना कठिन है कि उच्च न्यायालय कैसे दंडादेश के निष्पादन को आकस्मिक रूप से निलंबित कर सकता था और कोई कारण अभिलिखित किए बिना प्रत्यर्थी सं. 2 को इस आकस्मिक मताभिव्यक्ति के साथ जमानत अनुदत्त कर सकता था कि अपीलार्थी, इस अपील में प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्क में बल है । वस्तुत:, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के

अधीन आवेदन के प्रक्रम पर उच्च न्यायालय ने इस दलील में गुणागुण पाया कि विपदग्रस्त के भाई की परीक्षा नहीं की गई थी, उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी, प्रत्यर्थी सं. 2 की इस दलील का खंडन नहीं किया गया था कि 2,50,000/- रुपए की रकम ऋण के रूप में नहीं ली गई थी, सेशन न्यायालय द्वारा अवलंब लिए गए साक्ष्य और विपदग्रस्त के माता-पिता के मौखिक साक्ष्य की भी उपेक्षा की गई थी । अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने विपदग्रस्त के विवाह पर अपनी वित्तीय हैसियत के परे जाकर धन खर्च किया था और एक आई10 कार भी दान में दी थी । असहाय माता-पिता इस आशा में लगे रहे कि एक सौहार्दपूर्ण समझौता हो जाएगा । यहां तक कि तारीख 17 जून, 2010 को ही विपदग्रस्त के भाई ने प्रत्यर्थी सं. 2 को 2,50,000/- रुपए संदत्त किए थे । विपदग्रस्त की मृत्यु से पूर्व दहेज और तंग करने की शिकायत करते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में असफलता, हमारी सुविचारित राय में, कोई मायने नहीं रखती है । विपदग्रस्त के माता-पिता और परिवाद के अन्य सदस्य स्पष्ट तौर पर प्रत्यर्थी सं. 2 और उनके माता-पिता के विरुद्ध, जब विपदग्रस्त जीवित थी, जल्दबाजी में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करके विवाह को पूरी तरह से तोड़ना नहीं चाहते थे । (पैरा 26, 38, 39, 40, 41 और 42)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2019]	(2019) 8 एस. सी. सी. 13 : **विनोद सिंह नेगी** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** ;	37
[2019]	(2019) 8 एस. सी. सी. 17 : **मौजी राम** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** ;	33
[2018]	(2018) 3 एस. सी. सी. 22 : **दाताराम सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** ;	33, 36

[2008] (2008) 16 एस. सी. सी. 753 :
लोकेश सिंह बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** ; 33, 34

[2005] (2005) 7 एस. सी. सी. 507 :
अजय कुमार शर्मा बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** ; 33, 35

[2004] (2004) 7 एस. सी. सी. 528 :
कल्याण चद्रा सरकार बनाम **राजेश रंजन और एक अन्य** ; 31, 34

[2004] (2004) 7 एस. सी. सी. 525 :
चमन लाल बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** ;32

[1991] (1991) 3 एस. सी. सी. 1 :
पंजाब राज्य बनाम **इकबाल सिंह और अन्य ;** 30

[1978] (1978) 1 एस. सी. सी. 579 :
बाबू सिंह और अन्य बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; 27

[1977] (1977) 4 एस. सी. सी. 291 :
कश्मीरा सिंह बनाम **पंजाब राज्य** । 27

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2020 की दांडिक अपील सं. 520.

2018 की दांडिक अपील सं. 1594 में 2018 के दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 129789 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ न्यायपीठ के तारीख 21 जनवरी, 2019 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

हाजिर होने वाले पक्षकारों की ओर से सर्वश्री वी. के. शुक्ला, ज्येष्ठ अधिवक्ता, विश्वजीत सिंह, (सुश्री) रीधिमा सिंह, (सुश्री) वीरा कौल सिंह, पंकज सिंह, विग्नेश सिंह, पी. बी. सुरेश, विपिन नायर, कार्तिक जयशंकर, आदर्श उपाध्याय और अभितोष प्रताप सिंह

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (सुश्री) इंदिरा बनर्जी ने दिया ।

न्या. बनर्जी – इजाजत दी गई ।

2. विपदग्रस्त मृतका के पिता द्वारा फाइल की गई यह अपील 2018 की दांडिक अपील सं. 1594 में 2018 के दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 129789 में इलाहाबाद न्यायालय, लखनऊ न्यायपीठ द्वारा तारीख 21 जनवरी, 2019 को पारित किए गए उस आदेश के विरुद्ध है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने 2010 के सेशन विचारण सं. 1385 में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ईसी अधिनियम) के तारीख 23 जुलाई, 2018 के निर्णय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख, 498क और 406 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध विपदग्रस्त मृतका के पति, संदीप सिंह होरा, प्रत्यर्थी सं. 2 को उसके दंडादेश के कारावासों पर रोक लगाते हुए जमानत प्रदान कर दी थी ।

3. सेशन न्यायालय ने 2010 के सेशन विचारण सं. 1385 में तारीख 23 जुलाई, 2018 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 को भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन तीन वर्ष के साधारण कारावास और 10,000/- रुपए के जुर्माने तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास; भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास; भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अधीन अपराध के लिए तीन वर्ष के साधारण कारावास और 5,000/- रुपए के जुर्माने तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर दो माह के अतिरिक्त साधारण कारावास; दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के अधीन पांच वर्ष के साधारण कारावास और 15,000/- रुपए जुर्माने तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अधीन एक वर्ष के साधारण कारावास और 5,000/- रुपए के जुर्माने तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास का दंडादेश दिया था । सभी दंडादेश साथ-साथ चलने थे ।

4. प्रत्यर्थी सं. 2 ने दोषसिद्धि और दंडादेश से व्यथित होकर उच्च

न्यायालय में अपील फाइल की, जिसे 2018 की दांडिक अपील सं. 9514 संख्यांक दिया गया था । अपील फाइल करने के पश्चात्, प्रत्यर्थी सं. 2 ने 2018 का दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 129789, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रार्थना करते हुए फाइल किया कि पूर्वोक्त अपील के लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर छोड़ा जाए । उक्त आवेदन को तारीख 21 जनवरी, 2019 के अपीलाधीन आदेश द्वारा मंजूर किया गया था ।

5. उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से दी गई यह दलील अभिलिखित की कि (i) विपदग्रस्त की मृत्यु से पूर्व दहेज की मांग या तंग करने के संबंध में कोई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल नहीं की गई थी; (ii) प्रत्यर्थी सं. 2 ने विपदग्रस्त के भाई से 2,50,000/- रुपए ऋण के रूप में लिए थे न कि दहेज के रूप में और यह बात सिद्ध की गई थी क्योंकि विपदग्रस्त के भाई को साक्षी के रूप में पेश नहीं किया गया था; और (iii) मृतका ने आत्म-हत्या की थी और यह बात मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट से स्पष्ट होती है । मृत्यु का कारण, जैसा कि मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट में दर्शाया गया है, "मृत्यु से पूर्व फांसी लगाने के परिणामस्वरूप श्वासोवरोध" होना था ।

6. उच्च न्यायालय ने राज्य और अपीलार्थी की ओर से दी गई दलील को संक्षेप में अभिलिखित किया और इसके पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से खंडन करते हुए दी गई इस दलील को अभिलिखित किया कि प्रत्यर्थी सं. 2 को फंसाया गया है ।

7. उच्च न्यायालय ने संबंधित पक्षकारों की ओर से दी गई दलीलों को अभिलिखित करने के पश्चात् इस न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन एक संक्षिप्त, रहस्यमयी, अकारण आदेश पारित किया, जिसे सुविधा के लिए इसमें नीचे उपवर्णित किया जाता है :–

> "पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुनने और अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् हम अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा दिए गए तर्कों में बल पाते हैं । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुणागुण पर कोई टीका-टिप्पणी किए बिना, हमारी यह

सुविचारित राय है कि अभियुक्त-अपीलार्थी जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है ।

पूर्वोक्त 2010 के सेशन विचारण सं. 1385 में दोषसिद्ध अभियुक्त-अपीलार्थी अर्थात् संदीप सिंह होरा को इस अपील के लंबित रहने के दौरान संबंधित न्यायालय के समाधानप्रद उसके द्वारा एक व्यक्तिगत जमानत बंधपत्र और एक-समान रकम की दो प्रतिभूतियां देने पर उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी पर अधिरोपित जुर्माने की बाबत कोई रोकादेश पारित नहीं किया गया है और उसे आज से चार सप्ताह के भीतर जमा किया जाएगा और व्यतिक्रम करने पर अभियुक्त-अपीलार्थी आज पारित किए गए जमानत के आदेश के फायदे से वंचित हो जाएगा ।

जमानत बंधपत्र स्वीकृत करने के पश्चात् इस न्यायालय को इस अपील के अभिलेख पर रखने के लिए संप्रेषित किए जाएंगे ।"

8. यह विवादग्रस्त नहीं है कि विपदग्रस्त की मृत्यु तारीख 12 दिसंबर, 2009 को प्रत्यर्थी सं. 2 के साथ उसका विवाह होने के लगभग साढ़े आठ माह के भीतर तारीख 24/25 अगस्त, 2010 की रात्रि में ऐसी परिस्थितियों में हुई थी जो स्वाभाविक नहीं थीं ।

9. तारीख 25 अगस्त, 2010 को लगभग 3.05 बजे पूर्वाह्न में अपीलार्थी की शिकायत के आधार पर 2010 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 352 रजिस्ट्रीकृत की गई थी, जिसके अनुसरण में प्रत्यर्थी सं. 2, उसके माता-पिता और उसकी बहिन सोनिया **उर्फ** दिशा छुगानी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498क, 304ख, 406 और 411 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन 2010 के अपराध सं. 480 के रूप में एक आपराधिक मामला आरंभ किया गया था ।

10. अन्वेषक अधिकारी ने मामले का अन्वेषण करने के पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 2, उसके पिता बलवीर सिंह, उसकी माता मनजीत कौर और उसकी बहिन सोनिया **उर्फ** दिशा छुगानी के विरुद्ध के विरुद्ध एक आरोप-

पत्र प्रस्तुत किया ।

11. मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया, जिसके पश्चात् अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498क, 304ख और 406 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन आरोप विरचित किए गए, जिनके लिए अभियुक्तों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अधीन आरोप से मुक्त कर दिया गया था ।

12. अभियोजन पक्ष ने 2010 के सेशन विचारण सं. 1385 में अपीलार्थी, जो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में शिकायतकर्ता है, उसकी पत्नी, जो विपदग्रस्त की माता है और उसकी बहिन राजिन्द्र पाल कौर, जो विपदग्रस्त की बुआ है, सहित आठ साक्षियों की परीक्षा की । प्रत्यर्थी सं. 2 और अन्य अभियुक्तों की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा की गई थी ।

13. सेशन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन तारीख 23 जुलाई, 2018 के निर्णय और आदेश में अति सावधानीपूर्वक अभिलिखित किया गया है । विपदग्रस्त के परिवार के सदस्यों ने, जिन्होंने सेशन न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य दिया था, यह मौखिक साक्ष्य दिया था कि अपीलार्थी ने अपनी पुत्री अर्थात् विपदग्रस्त के विवाह में अपनी वित्तीय हैसियत से अधिक धन खर्च किया था । तथापि, तारीख 12 दिसंबर, 2009 को प्रत्यर्थी सं. 2 के साथ विपदग्रस्त का विवाह होने के कुछ पश्चात् विपदग्रस्त के सास-ससुर तथा उसके पति, प्रत्यर्थी सं. 2 ने और अधिक दहेज के लिए उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया ।

14. विपदग्रस्त के माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के मौखिक साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि विपदग्रस्त अपनी ससुराल वालों द्वारा उसे तंग करने की शिकायत करते हुए अपनी माता, नानी और अपनी चाची को फोन करती रहती थी । यह मौखिक साक्ष्य है कि अपीलार्थी की पत्नी उसे यह कहते हुए सांत्वना देती रहती थी कि थोड़े

दिनों में सब ठीक हो जाएगा ।

15. मौखिक साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि विपदग्रस्त के ससुराल वाले विपदग्रस्त पर अपने माता-पिता से नकदी लाने के लिए दबाव डालते रहते थे । तारीख 17 जून, 2010 को प्रत्यर्थी सं. 2 अपने पिता बलवीर सिंह के साथ सीतापुर आया था और विपदग्रस्त के भाई प्रीतम सिंह से 2,50,000/- रुपए की नकदी ली थी । अपीलार्थी के मौखिक साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि तारीख 24 अगस्त, 2010 को सायंकाल में विपदग्रस्त ने उस पर हो रहे अत्याचारों की शिकायत करते हुए दो बार अपीलार्थी को फोन किया था । वह डरी हुई थी और अपने जीवन के प्रति डर व्यक्त किया था । उसी रात 12.15 बजे अपीलार्थी को सूचित किया गया था कि उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई है ।

16. द्वितीय अभियोजन साक्षी, जो विपदग्रस्त की माता है, ने यह कथन किया था कि परिवार ने विपदग्रस्त के विवाह के लिए लगभग 21 लाख रुपए खर्च किए थे । उन्होंने आई10 कार दान में दी थी, जो उन्होंने बीमा पालिसी के विरुद्ध ऋण लेकर खरीदी थी । तथापि, विवाह के पश्चात् विपदग्रस्त के ससुराल वालों ने 15 से 20 लाख रुपए की नकदी की मांग करते हुए, जो अभिकथित रूप से विपदग्रस्त के माता-पिता द्वारा देने का वचन दिया गया था और आई10 के स्थान पर एक पजेरो कार की भी मांग करते हुए विपदग्रस्त को तंग करना आरंभ कर दिया था ।

17. मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट से निम्नलिखित मृत्यु-पूर्व की क्षतियां प्रकट होती हैं :–

> "टैंटुआ के ठीक ऊपर गर्दन के सामने और चारों ओर 30 सें. मी. x 1.5 सें. मी. का तिर्यक बांधने का चिह्न; दोनों फेफड़े और झिल्लियां संकुचित; दायां हृदय प्रकोष्ठ भरा हुआ और बायां खाली; उदर में कुछ अध-पचा खाद्य पदार्थ था; यकृत, प्लीहा, दोनों गुर्दे संकुचित; गर्भाशय खाली और सामान्य; मृत्यु संभवत: मरणोत्तर परीक्षा से आधा दिन पहले हुई थी । इस साक्षी की राय के अनुसार, मृतका की मृत्यु, मृत्यु-पूर्व फांसी लगाने के परिणामस्वरूप

श्वासोवरूद्ध होने के कारण हुई थी ।"

18. प्रत्यर्थी सं. 2 और उसके माता-पिता की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा की गई थी । उन्होंने वास्तव में प्रत्येक बात से इनकार किया सिवाय इस बात के कि प्रत्यर्थी सं. 2 का विवाह तारीख 12 दिसंबर, 2009 को विपदग्रस्त के साथ हुआ था । उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया कि विपदग्रस्त ने आत्महत्या की थी और यह अभिवाक् किया कि संपूर्ण अन्वेषण एक उत्प्रेरित आईपीएस अधिकारी, जो अपीलार्थी का मित्र था, के पर्यवेक्षण में और अनुदेशों पर किया गया था ।

19. प्रत्यर्थी सं. 2 और/या उसके माता-पिता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपनी परीक्षा में यह सुझाव दिया था कि मृतका-विपदग्रस्त किसी अन्य लड़के के साथ विवाह करना चाहती थी, किंतु उसके माता-पिता द्वारा उसे प्रत्यर्थी सं. 2 से विवाह करने के लिए बाध्य किया गया था और वह प्राय: उस लड़के से बातचीत करती रहती थी और संदेशों का आदान-प्रदान करती रहती थी । यह भी सुझाव दिया गया कि विपदग्रस्त ने मानसिक रुग्णता के कारण आत्महत्या की थी । ये सुझाव काफी हद तक विरोधाभासी हैं और किसी भी दशा में मानसिक रुग्णता का सुझाव किसी प्रकार के साक्ष्य द्वारा असमर्थित है ।

20. प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा परीक्षा किए गए तीन साक्षियों अर्थात् श्री के. के. पांडेय, उप मंडल इंजीनियर, मोबाइल सर्विसेज (सिक्योरिटी) जिसने प्रथम प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में अभिसाक्ष्य दिया था, श्री मधु बालुसु, नोडल अधिकारी, रिलायंस कम्यूनिकेशन्स, गोमती नगर, लखनऊ, जिसने द्वितीय प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में अभिसाक्ष्य दिया था और श्री प्रशांत मिश्रा, जिसने तृतीय प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में अभिसाक्ष्य दिया था, के माध्यम से विपदग्रस्त के उक्त प्रशांत मिश्रा के साथ अंतर्वलन को सिद्ध करने का प्रयत्न किया था । पूर्वोक्त तीनों साक्षियों के साक्ष्य से प्रदर्शित होता है कि विपदग्रस्त के फोन से प्रशांत मिश्रा के नाम में फोन पर और उक्त फोन से विपदग्रस्त के फोन पर काल की गई थीं तथा दोनों फोनों के बीच कुछ संदेशों का भी आदान-प्रदान हुआ था ।

तथापि, उक्त प्रशांत मिश्रा ने, जिसने प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में अभिसाक्ष्य दिया था, कहा कि उसके नाम पर का यह फोन सदैव घर पर रहता था और उसके माता-पिता तथा बहिन द्वारा उपयोग किया जाता था । विपदग्रस्त उसकी बहिन, प्राची की सहपाठी मित्र थी । उसे विपदग्रस्त के मोबाइल नम्बर की जानकारी नहीं थी । विपदग्रस्त उसकी बहिन प्राची से बातचीत करती रहती थी । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि वह जानता था कि विपदग्रस्त का विवाह प्रत्यर्थी सं. 2 के साथ हुआ है । उसने यह कहा कि उसकी बहिन प्राची और उसकी माता विवाह में सम्मिलित हुए थे । इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह प्रकथन किया कि विपदग्रस्त के फोन से इस फोन नम्बर पर काल उसकी मौजूदगी में नहीं की गई थीं, न ही संदेशों का आदान-प्रदान उसकी मौजूदगी में किया गया था ।

21. चतुर्थ प्रतिरक्षा साक्षी, श्रीमती लाजवंती छुगानी (सोनिया उर्फ दिशा छुगानी की सास) और पांचवें प्रतिरक्षा साक्षी श्री भगवान दास (सोनिया **उर्फ** दिशा छुगानी के ससुर) ने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि उनकी पुत्र वधु सोनिया के अपने माता-पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं थे क्योंकि उसने अपने पहले पति को छोड़ दिया था और अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध उनके पुत्र के साथ पुनर्विवाह किया था ।

22. सेशन न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, जिसमें विपदग्रस्त के परिवार के सदस्यों का मौखिक साक्ष्य भी है, प्रतिरक्षा साक्षियों के साक्ष्य और प्रत्यर्थी सं. 2, उसके माता-पिता और उसकी बहिन की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन प्रतिरक्षा पर विचार किया और उसके पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 2 के साथ-साथ उसके माता-पिता बलवीर सिंह और मंजीत कौर को भारतीय दंड संहिता की धारा 498क, 304ख और 406 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन दोषसिद्ध किया । प्रत्यर्थी सं. 2 की बहिन सोनिया **उर्फ** दिशा छुगानी को उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था ।

23. न्यायालय में अपीलाधीन सेशन न्यायालय का निर्णय और

आदेश साक्ष्य पर आधारित है । उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन सेशन न्यायालय के समक्ष पेश किए गए मौखिक साक्ष्य, जिसे तारीख 23 जुलाई, 2008 के निर्णय और आदेश में सावधानीपूर्वक अभिलिखित किया गया है, से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी सं. 2 और उसके माता-पिता द्वारा विपदग्रस्त को विवाह के कुछ समय पश्चात् से और अधिक दहेज लाने के लिए यातना देने और तंग करने का साक्ष्य है, जो उसकी मृत्यु होने तक जारी रहा था । विपदग्रस्त का पति (प्रत्यर्थी सं. 2 और विपदग्रस्त के ससुराल वाले विपदग्रस्त पर अपने माता-पिता से नकदी लाने के लिए दबाव डालते थे और विवाह के समय उसके माता-पिता द्वारा दान में दी गई आई10 कार के स्थान पर पजेरो कार के लिए भी उस पर दबाव डालते थे । प्रत्यर्थी सं. 2 अपने पिता बलवीर सिंह के साथ तारीख 17 जून, 2010 को सीतापुर आया था और विपदग्रस्त के भाई विक्रम सिंह से 2,50,000/- रुपए की नकदी ली थी । यहां तक कि तारीख 24 अगस्त, 2010 को सायंकाल में प्रत्यथी सं. 2 विपदग्रस्त की बुआ के घर गया था और विवाह को तोड़ देने की धमकी दी थी । विपदग्रस्त ने तारीख 24 अगस्त, 2010 को यातना की शिकायत करते हुए और अपने जीवन के लिए खतरा व्यक्त करते हुए उग्रतापूर्ण काल की थीं । मौखिक साक्ष्य से युक्तियुक्त रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसे मानसिक आघात दिया गया था । उसी रात्रि में उसकी अस्वाभाविक परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी ।

24. उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील के गुणागुण पर विचार करना इस न्यायालय का कार्य नहीं है । यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि प्रथम दृष्टया सेशन न्यायालय साक्ष्य के आधार पर अग्रसर हुआ था और प्रत्यर्थी सं. 2 सेशन न्यायालय के निर्णय और आदेश में कोई स्पष्ट खामी और/या अवैधता होने का मामला सिद्ध करने में समर्थ नहीं रहा था ।

25. संक्षिप्त प्रश्न जो इस अपील में विचार के लिए उद्भूत होता है, यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं. 2 को उच्च न्यायालय के समक्ष उसकी अपील लंबित रहने के दौरान जमानत पर छोड़ने का निदेश

देकर न्यायोचित किया था या नहीं ।

26. धारा 389 में यह उपबंधित है कि अपील न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो उसके द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे, आदेश दे सकता है कि उस दंडादेश या आदेश का निष्पादन, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा की गई अपील के लंबित रहने तक निलंबित किया जाए और यदि वह व्यक्ति परिरोध में है तो यह भी आदेश दे सकता है कि उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए । नि:संदेह, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(3) के आदेश को ध्यान में रखते हुए, तीन वर्ष से अनधिक दंडादेश के मामलों में और/या जमानतीय अपराधों के मामले में सिद्धांत भिन्न-भिन्न हैं । इस मामले में, नि:संदेह, कोई भी अपराध, जिनके लिए प्रत्यर्थी सं. 2 को दोषसिद्ध किया गया है, जमानतीय नहीं हैं । इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी सं. 2 को, अन्य कारावास के साथ-साथ, भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के अधीन अपराध के लिए पांच वर्ष का कारावास दिया गया है ।

27. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **कश्मीरा सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] और **बाबू सिंह और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[2] वाले मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है, चूंकि धारा 389(1) के अधीन विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए, इसलिए अपील न्यायालय इस बात पर विचार करने के लिए आबद्ध है कि क्या कोई तर्कपूर्ण आधार प्रकट किया गया है जिसके कारण दोषसिद्धि की विधिमान्यता के बारे में सारभूत संदेह पैदा होते हैं और क्या अपील के निपटारे में अयुक्तियुक्त विलंब होने की संभावना है ।

28. भारतीय दंड संहिता में धारा 304ख दहेज प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम सं. 43) द्वारा सम्मिलित की गई थी । इस संशोधन का उद्देश्य दहेज मृत्यु को रोकना था । धारा 304ख मृत्यु को वर्गीकृत नहीं करती है, इसके अंतर्गत वह प्रत्येक प्रकार

---

[1] (1977) 4 एस. सी. सी. 291.

[2] (1978) 1 एस. सी. सी. 579.

की मृत्यु आती है जो सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में होती है । जहां संहिता की धारा 304ख के अन्य संघटकों का समाधान किया जाता है, वहां धारा 304ख की अभिगृहीत कल्पना लागू होगी और यह समझा जाएगा कि पति या नातेदारों ने वधु की मृत्यु कारित की है ।

29. धारा 304ख को लागू करने के लिए आवश्यक संघटक यह हैं :–

(i) स्त्री की मृत्यु अवश्य ही अस्वाभाविक परिस्थितियों में होनी चाहिए ।

(ii) मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर होनी चाहिए ।

(iii) स्त्री की मृत्यु से कुछ पूर्व उसके साथ उसके पति या पति के नातेदारों द्वारा अवश्य ही क्रूरता की गई हो या तंग किया गया हो और ऐसी क्रूरता या तंग करना अवश्य ही दहेज की मांग के लिए या के संबंध में होना चाहिए, और यह दर्शित किया गया हो कि स्त्री के साथ ऐसी क्रूरता या तंग करना उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व किया गया हो ।

30. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **पंजाब राज्य** बनाम **इकबाल सिंह और अन्य**[1] वाले मामले में मत व्यक्त किया गया है, धारा 304ख को सम्मिलित करने का विधानमंडल का आशय दहेज मृत्यु के संकट को कड़ाई से रोकना था । धारा 304ख के अधीन मामलों पर विचार करते हुए, इस विधायी आशय को ध्यान में रखा जाना चाहिए । जब एक बार दर्शित करने के लिए सामग्री हो कि विपदग्रस्त के साथ मृत्यु से पूर्व क्रूरता की गई थी या उसे तंग किया गया था, तो दहेज मृत्यु की उपधारणा की जाती है और अन्यथा दर्शित करने का भार अभियुक्त ससुराल वालों पर होता है । पुनरावृत्ति करते हुए, यह दोहराया जाता है कि इस मामले में मृत्यु विवाह के साढ़े आठ माह के भीतर हुई थी । विपदग्रस्त को यहां तक कि उसकी मृत्यु के दिन भी दहेज के लिए तंग

---

[1] (1991) 3 एस. सी. सी. 1.

करने का स्पष्ट रूप से साक्ष्य है और उसकी मृत्यु से दो माह पूर्व विपदग्रस्त के भाई द्वारा प्रत्यर्थी-अभियुक्त को 2,50,000/- रुपए की राशि का संदाय करने का भी साक्ष्य है ।

31. **कल्याण चद्रा सरकार** बनाम **राजेश रंजन और एक अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था :-

> "11. जमानत अनुदत्त करने या इनकार करने के संबंध में विधि बहुत ही सुस्थिर है । न्यायालय को जमानत अनुदत्त करते समय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायसम्मत रीति में करना चाहिए न कि अनुचर्या के रूप में । यद्यपि जमानत अनुदत्त करने के प्रक्रम पर साक्ष्य की विस्तृत परीक्षा करने और मामले के गुणागुण का विस्तारपूर्वक प्रलेखन करने की आवश्यकता नहीं है, तो भी ऐसे आदेशों में प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के लिए कारण उपदर्शित किए जाने की आवश्यकता है कि जमानत क्यों अनुदत्त की जा रही है, विशिष्ट रूप से वहां जहां अभियुक्त को कोई गंभीर अपराध कारित करने के लिए आरोपित किया गया है । ऐसे कारणों से विहिन कोई आदेश मस्तिष्क का प्रयोग न करने से ग्रस्त होगा ।"

32. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **चमन लाल** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य**[2] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, यद्यपि न्यायालयों द्वारा जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय मामले के गुणागुण की विस्तृत परीक्षा किया जाना अपेक्षित न हो किंतु, साथ ही साथ, अधिकारिता का प्रयोग सुस्थिर सिद्धांतों और न्यायसम्मत रीति में किया जाना चाहिए न कि अनुचर्या के रूप में ।

33. **मौजी राम** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य**[3] वाले मामले में इस न्यायालय ने **अजय कुमार शर्मा** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**

---

[1] (2004) 7 एस. सी. सी. 528.

[2] (2004) 7 एस. सी. सी. 525.

[3] (2019) 8 एस. सी. सी. 17.

और अन्य[1], **लोकेश सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य**[2] और **दाताराम सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य**[3] वाले मामलों को निर्दिष्ट किया था और स्पष्ट रूप से यह मत व्यक्त किया था कि इस न्यायालय ने जमानत अनुदत्त करते समय कारणों को देने की आवश्यकता पर बारम्बार बल दिया है ।

34. **लोकेश सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने **कल्याण चद्रा सरकार** बनाम **राजेश रंजन** (उपर्युक्त) वाले मामले को निर्दिष्ट किया था और जमानत अनुदत्त करने के उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया था ।

35. **अजय कुमार शर्मा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय की एक तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने **चमन लाल** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** (उपर्युक्त) वाले मामले का अवलंब लिया और उच्च न्यायालय द्वारा अनुदत्त जमानत के आदेश को यह अभिनिर्धारित करते हुए अपास्त कर दिया था कि यह सुस्थिर है कि न्यायालयों द्वारा भले ही जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय मामले के गुणागुणा की विस्तृत परीक्षा किया जाना अपेक्षित न हो, तो भी साथ-ही-साथ विवेकाधिकार का प्रयोग सुस्थिर सिद्धांतों के आधार पर और न्याय सम्मत रीति में किया जाना चाहिए न कि अनुचर्या के रूप में ।

36. विचारण-पूर्व गिरफ्तारी के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन जमानत अनुदत्त करने और दोषसिद्धि के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के अधीन दंडादेश का निलंबन करने और जमानत अनुदत्त करने के बीच फर्क है । पूर्ववर्ती मामले में, निर्दोषिता की उपधारणा की जा सकती है, जो कि दांडिक विधिशास्त्र का एक मूलभूत आधार-तत्व है, और न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए इस सिद्धांत के आधार पर की जमानत

---

[1] (2005) 7 एस. सी. सी. 507.

[2] (2008) 16 एस. सी. सी. 753.

[3] (2018) 3 एस. सी. सी. 22.

नियम है और कारागार अपवाद है, उदार हो सकते हैं, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **दाताराम सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** (उपर्युक्त) वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है । तथापि, दंडादेश के प्रवर्तन का निलंबन करके, दोषसिद्धि के पश्चात् जमानत के मामले में दोषिता का निष्कर्ष होता है और निर्दोषिता की उपधारणा का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है । न ही जमानत नियम है और कारागार अपवाद का सिद्धांत लागू होता है जब एक बार विचारण के उपरांत दोषसिद्धि हो जाती है । बल्कि, न्यायालय को दंडादेश के निलंबन और जमानत अनुदत्त करने के लिए आवेदन पर विचार करते हुए, अन्य बातों के साथ, प्रथम दृष्टया अपील के गुणागुण पर विचार करना होता है । दोषसिद्धि का आदेश होते हुए, दंडादेश का निलंबन करके, जमानत अनुदत्त करने के लिए प्रबल बाध्यकारी कारण होने चाहिएं और यह प्रबल तथा बाध्यकारी कारण जमानत अनुदत्त करने वाले आदेश में अवश्य अभिलिखित किए जाने चाहिएं, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(1) में आदिष्ट है ।

37. **विनोद सिंह नेगी** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने दंडादेश के निलंबन और जमानत अनुदत्त करने के आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया था क्योंकि आदेश कारण विहिन था ।

38. किसी पक्षकार का यह पक्षकथन नहीं है कि विपदग्रस्त की मृत्यु दुर्घटनावश या स्वाभाविक थी । इस मामले में दहेज की मांग का साक्ष्य है, जिस पर विचारण न्यायालय ने विचार किया था । मृत्यु विवाह के 7 या 8 माह के भीतर हुई थी और मृत्यु से ठीक पूर्व क्रूरता करने और यातना देने के बारे में माता-पिता का साक्ष्य है । विपदग्रस्त के भाई द्वारा प्रत्यर्थी-अभियुक्त को 2,50,000/- रुपए का संदाय करने का भी साक्ष्य है । प्रत्यर्थी सं. 2 दंडादेश के निष्पादन का निलंबन करने के लिए सेशन न्यायालय के निर्णय में कोई प्रकट और/या स्पष्ट अवैधता या गलती प्रदर्शित नहीं कर सका था ।

---

[1] (2019) 8 एस. सी. सी. 13.

39. दंडादेश के निलंबन के लिए आवेदन पर विचार करते समय, अपील न्यायालय को केवल यह परीक्षा करनी होती है कि क्या दोषसिद्धि के आदेश में ऐसी स्पष्ट खामी है जो दोषसिद्धि के आदेश को प्रथम दृष्ट्या त्रुटियुक्त बनाती है । जहां ऐसा साक्ष्य है जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया गया था, वहां धारा 389 के अधीन आवेदन पर विचार करने वाला न्यायालय इस बात के लिए स्वतंत्र नहीं है कि वह उसी साक्ष्य का पुनर्निधारण और/या पुनर्विश्लेषण करे और दंडोदश के निष्पादन को निलंबित करने और सिद्धदोष व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के लिए एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाएं ।

40. यद्यपि भारतीय दंड संहिता में 'दहेज' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है । इसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि कोई मूल्यवान प्रतिभूति जो विवाह के समय या इससे पूर्व या पश्चात् किसी समय विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: दी गई है या दिए जाने के लिए करार की गई है ।

41. इस बात का समर्थन करना कठिन है कि उच्च न्यायालय कैसे दंडादेश के निष्पादन को आकस्मिक रूप से निलंबित कर सकता था और कोई कारण अभिलिखित किए बिना प्रत्यर्थी सं. 2 को इस आकस्मिक मताभिव्यक्ति के साथ जमानत अनुदत्त कर सकता था कि अपीलार्थी, इस अपील में प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्क में बल है । वस्तुत:, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के अधीन आवेदन के प्रक्रम पर उच्च न्यायालय ने इस दलील में गुणागुण पाया कि विपदग्रस्त के भाई की परीक्षा नहीं की गई थी, उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी, प्रत्यर्थी सं. 2 की इस दलील का खंडन नहीं किया गया था कि 2,50,000/- रुपए की रकम ऋण के रूप में नहीं ली गई थी, सेशन न्यायालय द्वारा अवलंब लिए गए साक्ष्य और विपदग्रस्त के

माता-पिता के मौखिक साक्ष्य की भी उपेक्षा की गई थी ।

42. अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने विपदग्रस्त के विवाह पर अपनी वित्तीय हैसियत के परे जाकर धन खर्च किया था और एक आई10 कार भी दान में दी थी । असहाय माता-पिता इस आशा में लगे रहे कि एक सौहार्दपूर्ण समझौता हो जाएगा । यहां तक कि तारीख 17 जून, 2010 को ही विपदग्रस्त के भाई ने प्रत्यर्थी सं. 2 को 2,50,000/- रुपए संदत्त किए थे । विपदग्रस्त की मृत्यु से पूर्व दहेज और तंग करने की शिकायत करते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में असफलता, हमारी सुविचारित राय में, कोई मायने नहीं रखती है । विपदग्रस्त के माता-पिता और परिवाद के अन्य सदस्य स्पष्ट तौर पर प्रत्यर्थी सं. 2 और उनके माता-पिता के विरुद्ध, जब विपदग्रस्त जीवित थी, जल्दबाजी में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करके विवाह को पूरी तरह से तोड़ना नहीं चाहते थे ।

43. ऊपर चर्चा किए गए कारणों से यह अपील मंजूर की जाती है । उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है और प्रत्यर्थी सं. 2 को अभिरक्षा में लिए जाने के लिए अभ्यर्पण करने का आदेश दिया जाता है । जमानत बंधपत्र रद्द हो जाएंगे ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.